

# कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।

(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

प्रपत्र-VII

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार  
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19(1) के अधीन)

चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक परियोजनार्थ यथा परियोजना सुलतानगंज (भागलपुर जिला) अगुआनी घाट (खगड़िया जिला) के बीच गंगा नदी पर पुल एवं संपर्क पथ निर्माण हेतु ग्राम-सियादतपुर अगुआनी, थाना-परबत्ता, थाना सं०-380, अंचल-परबत्ता, जिला-खगड़िया में कुल-7.25 एकड़ यानि 2.94 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 7.25 एकड़ यानि 2.94 हेक्टेयर है, और जो ग्राम-सियादतपुर अगुआनी, थाना-परबत्ता, थाना सं०-380, अंचल-परबत्ता, जिला-खगड़िया में हैं जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)
1	4	1	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.17	धनंजय मिश्र वो बलराम मिश्र पिता कपिलदेव मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-सि० टीमापुर लगार द०-नीज पू०-बलराम मिश्र प०-नीज
2	4	1	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.67	कंचन वी पति बलराम मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-टीमापुर लगार द०-बलराम मिश्र पू०-सुनील मिश्र प०-धनंजय मिश्र
3	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.43	सुनील मिश्र वो अशोक मिश्र पिता रामवरण मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-टीमापुर लगार द०-सुमन हजारी पू०-नीज प०-कंचन देवी
4	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.43	सुमन हजारी वो राजेश हजारी वो रवीश हजारी पिता दयानंद हजारी सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-सुनील मिश्र द०-मनदुन हजारी पू०-नीज प०-बलराम मिश्र
5	4	1	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	1.17	बलराम मिश्र पिता कपिलदेव मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-कंचन देवी द०-धनंजय मिश्र पू०-सुमन हजारी प०-धनंजय मिश्र
6	4	1	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.81	धनंजय मिश्र पिता बलराम मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-बलराम मिश्र द०-अखिलेश सिंह पू०-मनदुन हजारी प०-नीज
7	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.60	मनदुन हजारी पिता स्व० अर्न्तयामी हजारी सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-सुमन हजारी द०-अमित मिश्र पू०-राजेश मिश्र प०-धनंजय मिश्र

8	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.02	राजीव मिश्र वो प्रभास मिश्र पिता महेन्द्र हजारी सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-नीज द०-राजेश मिश्र पू०-नीज प०-मनदून हजारी
9	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.21	राजेश मिश्र पिता सच्चिदानंद मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-राजीव मिश्र द०-अखिलेश सिंह पू०-नीज प०-अंकित मिश्र
10	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.44	अमित मिश्र वो सुमित मिश्र पिता सहजानंद मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-मनदून हजारी द०-अखिलेश सिंह पू०-राजेश मिश्र प०-धनंजय मिश्र
11	5	3	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	1.28	अखिलेश सिंह पिता नागेश्वर प्रसाद सिंह सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-अमित मिश्र द०-ओम प्रकाश सिंह पू०-नीज प०-नीज
12	5	3	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	1.02	ओम प्रकाश सिंह पिता नागेश्वर प्रसाद सिंह सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-अखिलेश सिंह द०-सि० रहीमपुर इंगलिश पू०-कुनकुन सिंह प०-नीज
13	5	3	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.04	कुनकुन सिंह पिता स्व० कृष्णानंद सिंह सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-नीज द०-सि० रहीमपुर इंगलिश पू०-नीज प०-ओम प्रकाश सिंह

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों को सुनने और अधिनियम सं०-  
30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान,  
लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस  
प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने  
या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के  
दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

समाहर्ता  
खगड़िया

ज्ञापांक 15/5 / भू-अ०, दिनांक 30/4/18

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक भू-अर्जन, निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, खगड़िया को जिला गजट के अगले असधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित जिला गजट की बीस-बीस प्रतियाँ इस कार्यालय को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पथ प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. अवर निबंधक, खगड़िया एवं गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
10. अंचल अधिकारी, गोगरी एवं परबत्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
11. सभी हितवद्ध रैयत को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक  
खगड़िया